अति महत्वपूर्ण/शीर्ष प्राथमिकता

संख्या- 14/2024/1042/तीस-4-2024

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
(2) समस्त पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।

परिवहन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक 23 जुलाई, 2024

विषयः अनधिकृत/अवैध रूप से संचालित विद्यालयीय वाहनों के विरुद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही किये जाने तथा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि प्रदेश में हाल के दिनों में सड़क दुर्घटनाओं में दुर्घटनाग्रस्त हुई बसों के बिना वैध प्रपत्रों के संचालित होने के दृष्टिगत शीर्ष स्तर से अनधिकृत रूप से संचालित हो रहे विद्यालयीय वाहनों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किए जाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, ऐसे विद्यालयीय वाहनों के स्वामियों एवं स्कूल प्रबन्धकों/संचालकों के विरुद्ध भी विधिसम्मत कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

2- प्रसंगवश यह भी सूच्य है कि दिनांक 22.07.2024 तक वाहन पोर्टल से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रदेश में कुल पंजीकृत विद्यालयीय वाहनों की संख्या 57310 है, जिसमें से 44790वाहनों के पंजीयन/स्वस्थता प्रमाण-पत्र/बीमा वैध है। शेष 12520 वाहनों के पंजीयन/स्वस्थता प्रमाण-पत्र/बीमा समाप्त है। इस सम्बन्ध में जनपदवार सूचना का विवरण (संलग्नक-1) पर अवलोकनीय है।

3- यह भी उल्लेखनीय है कि प्रदेश में समय-समय पर सड़क-सुरक्षा के अभियान के साथ-साथ अनधिकृत विद्यालयीय वाहनों के संचालन के विरुद्ध भी अभियान चलाये गए हैं। फिर भी, परिणाम की दृष्टि से ऐसे अभियानों के अपेक्षानुरूप प्रभावी नहीं होने के कारण अनधिकृत विद्यालयीय वाहनों का संचालन अनवरत जारी है।फलस्वरूप सड़क दुर्घटनाओं में भी अपेक्षित कमी दृष्टिगोचर नहीं हो रही है।

4- अतः उपरोक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रथमत: प्रत्येक जनपद के परिवहन अधिकारी/सम्बन्धित अन्य अधिकारी वाहन पोर्टल से अपने जनपद में परमिट प्राप्त ऐसे विद्यालयीय वाहनों के विवरण प्राप्त कर लें, जिनके रजिस्ट्रेशन/ फिटनेस/इंश्योरेन्स/बीमा की वैधता अवधि समाप्त हो गयी है। तदोपरान्त अपने जनपद में अनधिकृत एवं बिना वैध प्रपत्रों (परमिट/फिटनेस/ लाइसेंस/बीमा एवं कर अदायगी सम्बन्धी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

प्रमाण-पत्र/अभिलेख) के संचालित हो रहे प्रत्येक विद्यालयीय वाहनों के विरुद्ध चिन्हीकृत/विशिष्ट अभियान चलाकर एवं विद्यालयीय वाहनों के स्वामियों, विद्यालय के प्रबन्धकों/प्रधानाचार्यों के साथ संवाद/बैठक कर अनधिकृत रूप से विद्यालयीय वाहनों का संचालन न किये जाने हेतु उन्हें जागरूक करते हुए सुसंगत नियमों/प्राविधानों के आलोक में आवश्यक कार्यवाही इस प्रकार सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि दिनांक 15.08.2024 तक वाहन पोर्टल पर प्रत्येक जनपद में प्रदर्शित रजिस्ट्रेशन/ फिटनेस/इन्श्योरेंस/बीमा की वैधता अवधि समाप्त विद्यालयीय वाहनों के स्वामी नियमानुसार यथापेक्षित वैध प्रपत्रों को प्राप्त करके ही अपने वाहनों का संचालन करें। अन्यथा की स्थिति में, अनधिकृत एवं बिना वैध प्रपत्रों के संचालित विद्यालयीय वाहनों के विरूद्ध RVSF (Registered Vehicle Scrapping Facility)के माध्यम से नियमानुसार स्क्रैपिंग की कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें, ताकि वाहन पोर्टल पर प्रदर्शित बिना वैध प्रपत्रों के संचालित हो रहे विद्यालयीय वाहनों की संख्या शून्य हो सके।

संलग्नकःयथोक्त।

भवदीय,

मनोज कुमार सिंह
मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से समस्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों से उक्तानुसार प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही ससमय सुनिश्चित करायें ।
3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0रा0स0परि0निगम, लखनऊ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

एल0 वेंकटेश्वर लू
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

ALL School Vehicles 22-07-2024

SN	Office Name	Number of Vehicles	Registration/Fitness/ Insurance Valid	Registration/Fitness/ Insurance Expired
1	2	3	4	5
1	SAHARANPUR RTO	952	787	165
2	MuzaffarNagar	688	598	90
3	Bulandshahar	1290	1045	245
4	GHAZIABAD	1493	1126	367
5	MEERUT RTO	1453	983	470
6	Noida	1306	1150	156
7	Baghpat	371	313	58
8	SHAMLI ARTO	597	527	70
9	Bijnor	1065	941	124
10	MORADABAD	707	627	80
11	RAMPUR	467	438	29
12	JPNAGAR	518	443	75
13	Badaun	528	425	103
14	BAREILLY	687	568	119
15	Pilibhit	258	220	38
16	SAHJAHANPUR	352	307	45
17	HARDOI	703	555	148
18	LAKHIMPUR KHERI	672	540	132
19	Lucknow	2061	1586	475
20	Raibareilly	1192	968	224
21	Sitapur	583	497	86
22	Unnao	693	541	152
23	Amethi ARTO	523	396	127
24	Hapur	537	419	118
25	Sambhal ARTO	363	345	18
26	Bahraich	502	380	122
27	Barabanki ARTO	981	785	196
28	AYODHYA RTO	1348	991	357
29	GONDA	694	417	277
30	Sultanpur	1018	680	338
31	AMBEDKAR NAGAR	1238	969	269
32	Shravasti	106	75	31
33	Balrampur	358	247	111
34	Azamgarh RTO	1868	1316	552
35	BASTI RTO	1117	825	292
36	DEORIA	1218	773	445
37	Gorakhpur RTO	2266	1834	432

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

38	Mau	710	557	153
39	Siddharth Nagar	604	465	139
40	Maharajganj	863	654	209
41	KUSHI NAGAR	1214	949	265
42	Sant Kabir Nagar	539	410	129
43	Ballia	674	551	123
44	Ghazipur	1200	672	528
45	JAUNPUR	986	787	199
46	MIRZAPUR RTO	692	637	55
47	SONBHADRA	345	297	48
48	VARANASI RTO	3137	2223	914
49	SANT RAVIDAS NAGAR	411	321	90
50	Chandauli	854	648	206
51	Prayagraj RTO	1317	987	330
52	FATHEHPUR	750	621	129
53	PRATAPGARH	407	313	94
54	Kaushambi	241	186	55
55	Kannauj	291	258	33
56	Etawah	349	320	29
57	Farrukhabad	155	142	13
58	Kanpur Dehat	438	382	56
59	KANPUR NAGAR	710	666	44
60	AURAIYA	294	249	45
61	Agra RTO	1262	1019	243
62	ALIGARH RTO	874	725	149
63	Etah	301	217	84
64	FEROZABAD	762	524	238
65	Mainpuri	534	421	113
66	MATHURA	1164	985	179
67	HATHRAS	400	336	64
68	Kasganj	102	74	28
69	BANDARTO	300	249	51
70	HAMIRPUR(UP)	201	175	26
71	Orai	449	342	107
72	JhansiRTO	451	341	110
73	Lalitpur	150	142	8
74	Mahoba	172	125	47
75	Chitrakoot	234	183	51
	Total	**57310**	**44790**	**12520**

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।